विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में होगा इलाज, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में समीक्षा

डिस्पेंसरी से अब सीधे बड़े अस्पतालों में रेफर होंगे मजदूर

नवभारत ब्यूरो। रायपुर।

प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने निर्देशित किया कि ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिससे श्रमिकों और उनके परिवारजनों को डिस्पेंसरी से सीधे विशेषज्ञ हॉस्पिटल (अनुबंधित बड़े अस्पताल) में रेफर किया जा सकें। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में गंभीर बीमारी से ग्रस्त व इमरजेंसी में मरीजों को पहले ईएसआईसी के डिस्पेंसरी, फिर मुख्य अस्पताल में रेफर करवाना पड़ता है। यह प्रक्रिया जटिल है, जिसके चलते श्रमिक परिवारों को काफी परेशानी होती

है। वहीं बस्तर में जल्द ईएसआईसी कार्यालय और अस्पताल प्रारंभ करने और प्रदेश में 4 नए औषधालय शुरू करने के निर्देश दिये।

मालूम हो कि श्रम मंत्री श्री देवांगन ने गुरुवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय परिषद की बैठक में समीक्षा के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी जब तक अपने अस्पतालों में सुविधा नहीं बढ़ाती, तब तक मरीजों को अन्य अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रदेश के राइस मिल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, निजी स्कूल समेत अन्य संस्थान के सर्वे कर ज्यादा से ज्यादा कर्मियों को ईएसआईसी में पंजीकृत करने के निर्देश दिए। वहीं ईएसआईसी अस्पतालों में आईपीडी की सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने ईएसआईसी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करने हेतु रीजनल बोर्ड के सदस्यों को ईएसआई स्थानीय चिकित्सक द्वारा आमंत्रित करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 4 नए औषधालय जिनमें ग्राम लारा, खरसिया, तिल्दा एवं उरला में खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की।

बिलासपुर में 100 बेड अस्पताल निर्माण की ली जानकारी

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने बिलासपुर जिले हेतु 100 बेड अस्पताल के निर्माण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल हेतु राज्य शासन के द्वारा भूमि के दिए गए विकल्पों का समिति के द्वारा परीक्षण कर मुख्यालय भेजा गया है। मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है। बस्तर जिले हेतु औषधालय कार्यालय (डीसीबीओ) का अनुमोदन किया गया। इसमें मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम के भवनों में नए कार्यालय खोले जाने हैं, किन्तु अभी तक उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं हो पाया है।